न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 70/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/176

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हापाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवाससी खेड़ीलीला तहसील मकराना।		1. उपतहसीलदार गच्छीपुरा। 2. पटवार हल्का डोबड़ी कला।

उपस्थितः–
1. श्री हरफुल राव वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार गच्छीपुरा दिनांक 18.01.2024 प्रकरण संख्या 12/2023 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का डोबड़ी कला बनाम केसाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अपीलार्थी को बेदखल के आदेश पारित किया।

–:निर्णयः–

दिनांक : 08.04.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डोबड़ी कलां ने अप्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम खेड़ीलीला के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0920 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पर बाड़ लगा कर अतिक्रमण कर रखा हैं जिसकी जाँच को भू0अ0 निरीक्षक गच्छीपुरा ने की व अतिक्रमण को सही माना है। उक्त भूमि सरकार की किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि है। जिससे अप्रार्थी को बेदखल किया जावें तथा शास्ति आरोपित किया। पटवारी रिपोर्ट हल्का डोबड़ी कलां की रिपोर्ट भू.अ. निरिक्षक गच्छीपुरा की जाँच रिपोर्ट व खसरा परिवर्तनशील अनुसार अप्रार्थी को जरिये सम्मन [illegible] एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तलव किया गया। अप्रार्थी को सम्मन [illegible] होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं अपरिस्थित होकर अधिवक्ता श्री [illegible] चौधरी का वकालतनामा [illegible] शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:47 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पत्रावली है व अप्रार्थी ने जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब हेतु समय चाहा जो दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता/अप्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। जिससे उसका मालिकाना हक साबित होता हो। अतः अप्रार्थी के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी जाती है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ग्राम खेडीलीला के खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0920 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पर सम्बत् 2080 में अतिक्रमण किया है। उक्त गै.मु. रास्ता सरकारी भूमि हैं। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता हैं तथा शास्ती शरहद लगान 2.47 हैक्टेयर का 50 गुणा अर्थात् 12/– अक्षरे बारह हजार रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का को अप्रार्थी के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती कायमी/वसूली हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधार पर यह अपील पेश कर रहा हैं।

–:अपील के आधार:–

1. ग्राम मौजा खेड़ीलीला व पटवारी हल्का डोबड़ी कलां में अपीलार्थी का खेत खसरा नम्बर 104 रकबा 2.5495 हैक्टेयर अवस्थित है।
2. दिनांक 03.03.1994 को अपीलार्थी के पिता द्वारा नाथूराम पुत्र जोराराम द्वारा राज्य सरकार के हित में कटाणी रास्ते व होद के लिये समर्पित कर दी व मौके पर रास्ता कायम कर होद तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां श्री भागुराम ठोलिया द्वारा कर दिया गया।
3. उक्त रास्ते पर केन्द्र सरकार द्वारा नरेगा योजना के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण कर दिया गया व उक्त रास्ता 30 वर्षों से अधिक समय से सुचारू रूप से उपयोग में आ रहा है।
4. हम खातेदारों द्वारा प्रशासन की सहमति से उक्त रास्ते को कायम कर भोग उपभोग रहे है। खसरा नम्बर 162/116 रकबा 0.2550 हैक्टेयर अपीलार्थी की पैतृक खातेदारी का रहा है, जिसका अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 116 में से समर्पण कर मौके पर रास्ता कायम किया व होद का निर्माण किया व उक्त रास्ता वर्तमान में उपयोग में आ रहा है। अपीलार्थी ने अपनी निजी खातेदारी की जमीन राज्य सरकार को देकर उक्तरास्ता कायम करवाया है। इसके बावजूद अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर तंग परेशान किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

5. हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर अपीलार्थी तंग परेशान करने की नियत से गलत रिपोर्ट पेश की है।
6. सुखाधिकार के बिन्दु के तहत उक्त रास्ता 30 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है।
7. अपीलार्थी द्वारा उपतहसीलदार गच्छीपुरा के समक्ष उक्त तथ्य पेश करने के बावजुद एक नोटिस दिनांकित 26.1.2024 को अतिक्रमण हटाने हेतु दिया गया है। जिससे हमें अजहद नुकसान होगा।
8. मौके पर रास्ता कायम हैं व दो रास्ते कायम करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा मंगवायी जावें।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि उपतहसीलदार गच्छीपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 12/2023 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का डोबड़ी कलां बनाम केसाराम में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने ग्राम खेडीलीला के खसरा सं0 122 किस्म गै0मु0 रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रकरण में तहसीलदार से नाप चौप करवा लिया जावें अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटा दिया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अगर अतिक्रमण पाया जावें तो हटा दिया जावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार गच्छीपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम खेडीलीला के खसरा सं0 122 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.0920 हैक्टयर का पुनः नाप चौप कर अगर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:47 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन